

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग


॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 17.2.26

संख्या-12/निजी-7041/2024 सा0प्र0- 3365 /श्रीमती रानी कुमारी, बि0प्र0से0 (को०क्र०-994/24), वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा को उनके प्रथम संतान के जन्म के लिए गर्भावस्था की स्थिति में बिहार सेवा संहिता के नियम-220 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना सं०-640/वि०, दिनांक-19.01.2015 की कंडिका-2 के तहत दिनांक-03.02.2026 से दिनांक-01.08.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती कुमारी, बि0प्र0से0 को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं०-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी के उपभोग के उपरान्त वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-7041/2024 सा0प्र0- 3365 /पटना, दिनांक- 17.2.26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को उनके पत्रांक-160 दिनांक-31.01.2026 के क्रम में/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती रानी कुमारी, बि0प्र0से0 (को०क्र०-994/24), वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा /आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(राजीव रंजन दास)  
सरकार के उप सचिव।